ाथ भेजा ...गया।
... का शपथ पत्र
... है दि:-

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :— सुप्रिया, आर. ए. एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 168/2024

ईश्वर सिंह पुत्र शैतान सिंह जाति राजपुत निवासी गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

— वादी

बनाम

1. पृथ्वी सिंह
2. भगवान सिंह
3. रेवन्त सिंह

पुत्रान शैतान सिंह जाति राजपुत निवासीगण गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

4. बैंक मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गुढागौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक।
5. उप पंजीयक, तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
6. तहसीलदार तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 26.02.2026

संक्षेप में वादी ने इस आशय से वादपत्र पेश किया है कि वाके ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 991 व पुराना 879 के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 1641 रकबा 6.3600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.4400 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4, 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। मुताबिक रिकॉर्ड कब्जा काश्त है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 अपने-अपने हिस्से पर काबिज है, जिस पर वादी बहैसियत स्वामी व मालिक के रूप में काबिज है, जिस बाबत् पक्षकारों में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है तथा सीमाएं बना कर आबाद व कब्जा काश्त है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को अपनी संयुक्त खाते की भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने के लिये निवेदन किया कि हम सभी एक साथ चलकर हमारी भूमि जो संयुक्त खाते की है, का विधिवत् विभाजन करवा ले तब प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने कहा कि हम आपको कब मना कर रहे हैं परन्तु सभी एक साथ चलने को भी तैयार नहीं होते हैं, जिससे परेशान होकर वादी ने अपनी संयुक्त खाते की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नकल पटवार हल्का से बनवाकर यह दावा बाबत् विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ। वाद कारण प्रथम बार संयुक्त खाते की भूमि पर दिनांक 30.05.2021 को जब वादी अपने खेत में तारबंदी कर रहा था। तभी प्रतिवादीगण आये और आते ही वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे तभी वादी ने प्रतिवादियों को समझाया की मैंने आपको कई बार विधिवत् विभाजन करवाने के लिये कहा है लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो लेकिन प्रतिवादीगण वादी की बात मानने के लिये तैयार ही नहीं होते हैं और दिनांक 30.05.2021

... कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

को ही प्रतिवादीगण वादी को विधिवत् विभाज करवाने से साफ इंकार हो गये के राज से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। जब प्रतिवादीगण ने सहमति से विभाजन करवाने से इंकार होने व किसी अजनबी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से भूमि विक्रय करने की धमकी देने के रोज से पैदा हुआ जो आज भी जारी है। इस कारण वादी ने उक्त दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अन्त में वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाके ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 991 व पुराना 879 के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 1641 रकबा 6.3600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.4400 है0 भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 का अलग खाता कायम कर अलग लगान तय कर राजस्व रिकॉर्ड कायम हेतु तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जावें।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 19.12.2024 को वादपत्र प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका क़मिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/25/670 दिनांक 07.03.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। जिसे पत्रावली में शामिल किया गया। वादी की ओर से एडवोकेट योगेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा वादी की ओर से एतराज विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया तथा तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया, जिसकी प्रति प्रतिवादी वकील को दी गई। प्रतिवादी वकील द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव दिये जाने उपरान्त पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। बहस श्रवण उपरान्त प्रार्थना पत्र एतराज विभाजन प्रस्ताव पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया। बहस उभयपक्ष श्रवण की गई। बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना सही व न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 991 व पुराना 879 के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 1641 रकबा 6.3600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.4400 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू0अ0/25/670 दिनांक 07.03.2025 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान ईश्वर सिंह बनाम पृथ्वी सिंह वगैरह

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. : 168 / 2024

निर्णय दिनांक : 26.02.2026

वकील वादी श्री योगेन्द्र शर्मा तथा वकील प्रतिवादी संख्या 1 सुरेश कुमार शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 26.02.26 को सुप्रिया, सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम गुढागौड़जी पटवार हल्का गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 991 व पुराना 879 के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0800 है0, खसरा नम्बर 1641 रकबा 6.3600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.4400 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू0अ0 / 25 / 670 दिनांक 07.03.2025 द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.02.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	3	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)